

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जून 2022 — आषाढ 2, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 जून 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-26/2021/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स.क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजनांदगांव	मानपुर	ओंधी	राजस्व निरीक्षक मण्डल ओंधी के पटवारी हल्का नंबर 01, 02, 03, 04, 05 एवं 06 के कुल 50 ग्राम। अतः कुल 06 पटवारी हल्के के 50 ग्राम नवीन तहसील “ओंधी” में शामिल होंगे।	उत्तर — तहसील धनौरा, जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र. दक्षिण — तहसील पखांजूर, जिला कांकेर. पूर्व — तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव. पश्चिम — तहसील धनौरा, जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र.
2.	राजनांदगांव	मानपुर	खड़गांव	राजस्व निरीक्षक मंडल खड़गांव के पटवारी हल्का नं. 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 के कुल 35 ग्राम। अतः कुल 07 पटवारी हल्का के 35 ग्राम नवीन तहसील “खड़गांव” में शामिल होंगे।	उत्तर — तहसील मोहला, जिला राजनांदगांव दक्षिण — तहसील दुर्गकोंदल, जिला कांकेर. पूर्व — तहसील डॉंडी, जिला बालोद. पश्चिम — तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव

प्रस्तावित परिवर्तन के कारण — प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 23rd June 2022

NOTIFICATION

No. F 11- 26/2021/7-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tahsil specified in column (3), creates a new Tahsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rajnandgaon	Manpur	Aundhi	<p>Total 50 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05 and 06 of Revenue Inspector Mandal Aundhi.</p> <p>Hence, 50 villages of total 06 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Aundhi".</p>	<p>North - Tahsil Dhanaura, Dist. Garhchirouli Maharashtra.</p> <p>South - Tahsil Pakhanjur, Dist. Kanker</p> <p>East - Tahsil Manpur Dist. Rajnandgaon</p> <p>West - Tahsil Dhanaura, Dist. Garhchirouli Maharashtra.</p>
2	Rajnandgaon	Manpur	Khadgaon	<p>Total 35 village of Patwari Halka No 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 of Revenue Inspector Mandal "Khadgaon".</p> <p>Hence, total 35 villages of total 07 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Khadgaon".</p>	<p>North - Tahsil Mohla, Dist. Rajnandgaon</p> <p>South - Tahsil Durgkondal, Dist. Kanker</p> <p>East - Tahsil Daundi, Dist. Balod</p> <p>West - Tahsil Manpur, Dist. Rajnandgaon</p>
Reasons for proposed change – Administrative decentralization					

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.